



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

No. 2025/HQ/Admin/RTI-258

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
A Government of India (Ministry of Railways) Enterprise

New Delhi: 05.05.2025

श्री सुनील सिंह चौहान
नि० - 904, आनंद नगर, दीप सिनेमा के पास,
जनपद - इटावा, उत्तर प्रदेश-2066001
मोबाइल-9412183636

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन 04.04.2025, जो इस कार्यालय में दिनांक 09.05.2025 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;

श्री दरोगा लाल यादव,
महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
5th मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 02 पृष्ठ

(एस. के. पण्डा)

अपर महाप्रबंधक / प्रशा. (ज. सू. अ.)

9717636811



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का एक उपक्रम)

DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

स0-डीएफसीसीआईएल/टुण्डला/एच0आर0/आरटीआई/258

दिनांक- 02.05.2025

श्री एस0 के0 पांडा

उप महाप्रबंधक/एडमिन

जन सूचना अधिकारी/ डी.एफ.सी.सी.आई.एल.

विषय-सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री सुनील सिंह चौहान निवासी-904
आनन्द नगर दीप सिनेमा के पास इटावा उ0प्र0 पिन-206001 का आवेदन दिनांक-
04.04.2025

श्री सुनील सिंह चौहान निवासी-904 आनन्द नगर दीप सिनेमा के पास इटावा उ0प्र0
पिन-206001 का आवेदन दिनांक- 04.04.2025 के विषय में उत्तर संलग्न कर भेजा जा रहा है।

आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(प्रफुल्ल चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य महाप्रबंधक
डीएफसीसीआईएल
टुण्डला

No: - CNB/EN/LA/KD/Y-25/M-04

Date: 30.04.2025

मुख्य महाप्रबंधक
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.
दुण्डला

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-6 के अन्तर्गत श्री सुनील सिंह चौहान द्वारा सूचना आवेदन।

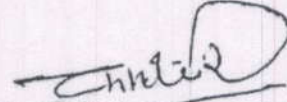
सन्दर्भ:

1. श्री सुनील सिंह चौहान द्वारा दिये गये जन सूचना अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.04.2025।

उपरोक्त सन्दर्भित विषय में अवगत कराना है कि परियोजना द्वारा ग्राम उमरी की गाटा सं० 2701, 2702, 2703, 2704 व 2712 रकबा 0.0480 हे०, प्रभावित काश्तकार श्री तुकमान सिंह पुत्र बरनाम सिंह का अधिग्रहण रेल (संशोधन) अधिनियम 2008 के अन्तर्गत किया गया है।

परियोजना द्वारा ग्राम उमरी की गाटा सं० 2701, 2702, 2703, 2704 व 2712 रकबा 0.0480 हे० का स्थलीय भौतिक कब्जा मार्च 2017 में परियोजना को तहसील प्रशासन व प्रभावित काश्तकारों की उपस्थिति में पुलिस बल के सहयोग से किया गया जबकि प्रभावित काश्तकार श्री तुकमान सिंह पुत्र बरनाम सिंह को प्रतिकर भुगतान गाटा सं० 2701, 2702, 2703, 2704 व 2712 रकबा 0.0480 हे० का परियोजना द्वारा दिनांक 22.02.2013 को ही कर दिया गया था। क्योंकि श्री सुनील सिंह पुत्र तुकमान सिंह व उनके सहयोगियों द्वारा स्थलीय भौतिक कब्जे में रुकावट डालकर परियोजना कार्य को पूर्णतः बाधित/रोक दिया गया था।

अतः प्रार्थी द्वारा मांगी गयी जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत है।



सहायक परियोजना प्रबंधक/इंजी०
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.
न्यू भाऊपुर

प्रतिलिपि:

1. उप० मुख्य परियोजना प्रबंधक, इंजी-द्वितीय को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कनिष्ठ परियोजना प्रबंधक/मानव संसाधन को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।